न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 104 / 2022 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 08.06.2022

उनवान

1. प्रकाश पिता प्रभुलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रंगलाल पिता गमेरा जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. भगवानलाल पिता रामकिशन जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. देउ पुत्री गणेश पत्नी पुष्कर जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम कमावास तहसील जावद जिला नीमच (म0प्र0)।
4. पुखराज पिता भंवरलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. पारसमल पिता गणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. फैफीबाई पत्नी गणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
7. मुन्नाबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी मोहन जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ हाल मुकाम सागवाडिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़
8. रतनलाल पिता भंवरलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
9. रामेश्वर पिता लालु जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
10. सुखी पुत्री गुणेश पत्नी भैरू जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम हरनाथपुरा तह राशमी जिला चित्तौडगढ़।
11. सन्तोष पुत्री गुणेश जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम मेघपुरा तहसील जावद जिला नीमच (म0प्र0)।
12. गणेश पिता तेजपाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
13. गिरधारी पिता घीसा जाति काछी मृतक के बजाय–
    1. भगवान पिता गिरधारी जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
    2. नारायण पिता गिरधारी जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
    3. मुलचन्द पिता गिरधारी जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
    4. केसर पुत्री गिरधारी पत्नी मांगीलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम हरनाथपुरा तह राशमी जिला चित्तौडगढ़।
    5. रूकमणी पुत्री गिरधारी जाति काछी मृतक के बजाय–
       अ नारायणी पुत्री रूकमणी पत्नी दल्लीचन्द जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़।
    6. सीता पुत्री गिरधारी पत्नी देवीलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम हरनाथपुरा तह राशमी जिला चित्तौडगढ़।
14. प्रभुलाल पिता तेजपाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
15. फुलचन्द पिता तेजपाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ हाल मुकाम मेघपुरा (लक्ष्मीपुरा) तहसील जावद जिला नीमच (म0प्र0)।
16. भागचन्द पिता तेजपाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
17. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन।

——अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रामलाल राव, —प्रार्थीगण

अधिवक्ता श्री पुलकित दाधीच —अप्रार्थी सं0 1,4,8,10,12,13(1,2,4,5ए,6),14,15,16

अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा व राधेश्याम वैष्णव —अप्रार्थी सं0 2,3,5,6,7,8,9,11, 13(3)

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) :—

निर्णय दिनांकः 24.01.2023

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम काच्छीयाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी नं0 277 रकबा 0.20 है0, आ0 सं0 278 रकबा 0.0850 है0 है एवं आराजी सं0 281 रकबा 0.04 है0 आ0चा0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/32 हक हिस्सा दर्ज है।

यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गांव काच्छीयाखेडी से आने वाले सरकारी रास्ते आ0 सं0 360 से होकर आगे दक्षिण दिशा में घुम उससे आगे पश्चिम दिशा की ओर स्थित अप्रार्थीगण सं0 3 से 11 तक के सहखातेदारी आराजी सं0 288 की उत्तरी मेड पाली पर होकर आगे अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी आ0 सं0 280 की दक्षिण मेड पाली पर होकर आगे अप्रार्थी सं0 12 से 16 की सहहिस्सेदारी आराजी नं0 281 आ0 चा0 के सामने फेरे से होकर इससे आगे स्थित अप्रार्थी सं0 2 की आराजी सं0 282 की पूर्वी मेड पाली पर होकर प्रार्थी अपनी आराजी सं0 277 व 278 तक आता जाता है जो नजरी मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त दर्शाये गये रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजीयात बोने, जोने, फसल काश्त हेतु कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु, भरी खाली बैलगाडी, हंकाई जुताई व कृषि पैदावार लाने ले जाने हेतु ट्रेक्टर उपरोक्त वर्णित रास्ते का उपयोग अपने वक्त खरीद से ही निर्बाद रूप से करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी के आने जाने के लिये और कोई वैकल्पिक लघुत्तम रास्ता नही है यही एक मात्र रास्ता है प्रार्थी से पूर्व के खातेदार भी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये उपरोक्त वर्णितानुसार आराजीयात में स्थित रास्ते से ही होकर आते जाते रहे है।

यह कि आराजी नं0 281 के सहखातेदारान प्रार्थनापत्र की कॉलम सं0 2 में वर्णित उपरोक्तानुसार रास्ते आराजी नं0 288, 280 में स्थित रास्ते से ही आते जाते रहे है व वर्तमान में भी इसी रास्ते से आ जा रहे है लेकिन प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित रास्ते से होकर निकलने पर अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.04.2022 को यह कहकर निकलने से रोक दिया कि रेकार्ड में कोई रास्ता नहीं है हम तुम्हे हमारी आराजी से होकर नहीं निकलने देगे प्रार्थी ने सहखातेदारान के निकलने का हवाला दिया तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर कहा कि जब तक रेकार्ड में रास्ता नहीं हो जाता तब तक तुझे इस रास्ते से नहीं निकलने देगे, इस कारण बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2022 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

यह कि आराजी नं0 288 की सहखातेदार अप्रार्थी सं0 10 से 11 के पिता का नाम खाते में गणेश अंकित कर दिया है जबकि उसके पिता का नाम लालू है इस कारण नोटिस तामील हेतू सन्तोषी एवं सुखी के पिता लालू के नाम पर भिजवाये जा रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 2 में वर्णित नजरी मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में रास्ता, उसका आराजी नम्बर अलग से कायम करते हुए रास्ते के रकबे को किस्म रास्ता दर्ज करना आवश्यक है एवं हाल नक्शे में भी लाल स्याही से अंकित कराया जाना आवश्यक है जिसके लिये आदेशानुसार प्रार्थी न्यायालय आप में राशि जमा कराने को तैयार व तत्पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मौसम काश्त का है अप्रार्थीगण बदनियति से व रेकार्ड में रास्ता नहीं होने की वजह से आने जाने नहीं दे रहे है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी को हंका–जुता भी नहीं सका तथा बारिश हो जाने पर अपनी आराजी को बो–जो नही पायेगा जिससे प्रार्थी की आराजी बोने जोने से वंचित होकर पडी रह जावेगी जिससे प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में सम्भव नहीं हो सकेगी।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 2 वर्णितानुसार एवं नजरी मानचित्र में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नक्शा हाल में अलग नम्बर कायम करा किस्म रास्ता दर्ज कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,4,8,10,12,13(1,2,4,5ए,6),14,15,16 की ओर से अधिवक्ता श्री पुलकित दाधीच का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी संख्या 2,3,5,6,7,8,9,11,13(3) की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा व राधेश्याम वैष्णव का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं राजस्व रेकार्ड से साबित करावें।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 2 में वर्णित कथन गलत हो अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 3 से 11 के सहखातेदारी आराजी सं0 288 की उत्तरी मेड पर होकर अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी सं0 280 की दक्षिणी मेड पर होकर इसके आगे स्थित अप्रार्थी सं0 12 से 16 की सहखातेदारी आराजी संख्या 281 आ0चा0 के सामने फेरे से होकर इसके आगे स्थित अप्रार्थी सं0 2 की आराजी सं0 282 की पूर्वी मेड पाली पर होकर प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 277, 278 तक आने जाने के कथन पूर्णतया गलत मिथ्या व निराधार है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा भी गलत हो अस्वीकार है। प्रार्थी उक्त नजरी नक्शे अनुसार कभी भी होकर अपनी आराजीयात में नहीं गया है न ही खाली भरी बैलगाडी, हकाई जुताई ट्रेक्टर आदि लेकर आता जाता रहा है अपितु सही यह है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी सं0 277 पर वह पृथक रास्ते से आता जाता था व उक्त आराजी के सटमा आराजी संख्या 278 हाल ही के वर्षो में क्रय की है व सरकारी रास्ते से प्रार्थी आराजी संख्या 277 में होकर 278 में जा रहा है। आपसी रंजिसवश नया रास्ता शेष अप्रार्थीगण से मिलाभगती कर कायम कराना चाहता है। जिसका किसी प्रकार से वादी विधि अनुसार अधिकारी नहीं है। क्योंकि विधायका की मंसा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 अ प्रस्तावित करने की मंशा कृषि भूमि पर रास्तों में तब्दील कर कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम करने की रही अपितु लघुत्तम दुरी का रास्ता उपलब्ध कराने की रही है जो जवाब के साथ संलग्न नजर नक्शें में बिन्दु सी से डी के मध्य दर्शाया हुआ है। प्रार्थी ने जानबुझकर उक्त लघुत्तम मार्ग से 20 गुणा अधिक लम्बा मार्ग कायम करने की मांग की है जो विधि की मंशा के विपरीत है व न्यायहित में उक्त आशय का मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 3 अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा गलत कथनों का वर्णन किया है। आराजी संख्या 288 व 280 कृषि भूमि है काश्त होती रही है। व उक्त भूमि पर कोई रास्ता होना व दिनांक 10.04.2022 को प्रार्थी को उस पर निकलने से रोक देने के कथन मिथ्या व निराचार है। प्रार्थी आराजी [illegible] 277 से होकर आराजी संख्या 278 में आ जा सके इस सहुलियत [illegible] 278 [illegible] की व अप्रार्थी जवाब दाता भी उक्त आराजीयात को क्रय करना चाह [illegible] जिससे प्रार्थी को उसकी किमत देनी पडी इसी रंजिश से प्रार्थी की कृषि आराजी[illegible] का स्वरूप बिगाडने की गरज से यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

झूठा वाद पत्र पेश किया है दिनांक 10.04.2022 को कोई बिनाय प्रार्थी के हक में उत्पन्न नहीं होती है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 विचारणीय न्यायालय होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 5 वर्णित कथन गलत हो अस्वीकार है प्रार्थी की आराजीयात में जाने हेतु लघुत्तम मार्ग होते हुए भी जानबूझ कर अप्रार्थी जवाबदाता की कृषि आराजीयात को नुकसान पहुचाने की गरज से झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शें में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को ए टू बी बिन्दु के रूप में दर्शाया है जो काफी लम्बा व कृषि भूमि का अनावश्यक हास करने वाला है। जबकी सी टू डी बिन्दु में दर्शाया लघुत्तम वैकल्पिक मार्ग है जिसकी जानबुझकर प्रार्थी ने मांग नहीं की है जो प्रार्थी के मन की दुर्भावना को दर्शाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 6 वर्णित कथन गलत हो अस्वीकार है प्रार्थी के खेतो की वैकल्पिक मार्ग से आ जाकर हकाई जुताई हर वर्ष होती रही है। किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है। जबकी जवाबदाता अप्रार्थीगण की कृषि आराजीयात को जानबुझकर रंजीशवश रास्ते में तब्दील करवाना चाहता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी के पास कम दूरी के मार्ग का विकल्प मौजूद है ऐसी स्थिति में जवाब दाता अप्रार्थीगण की आराजीयात से लम्बा मार्ग रास्ते के रूप में कृषि भूमि को कम कर कायम किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन धन के रूप में नहीं किया जा सकता है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 7, 8 विचारणीय न्यायालय हो जवाब की आवश्यकता नहीं है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 9 अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा भ्रामक मानचित्र प्रस्तुत किया है। सही नजरी नक्शा जवाब वाद पत्र के साथ पेश है जिसमें प्रार्थी की आराजीयात को परपल रंग से दर्शाया है व राजकीय सार्वजनिक रास्ते को केशरिया रंग से दर्शाया है व प्रार्थी द्वारा चाहे गये लम्बे मार्ग को ए टू बी बिन्दु के मध्य लाल रंग की डॉट लाईन के रूप में दर्शाया है व वैकल्पिक रूप से लघुतम रास्ते हेतु मार्ग जिसकी प्रार्थी ने जानबूझकर मांग नहीं की है उसे सी टू डी बिन्दू के मध्य लाल रंग की डॉट लाईन से दर्शाया गया है जो चाहे गये मार्ग से 20 गुणा से भी अधिक कम है। उक्त नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना का अभिन्न अंग है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 10 विचारणीय न्यायालय हो जवाब की आवश्यकता नहीं हैं।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 11 शपथ पत्र गलत हो अस्वीकार है सही सही शपथ पत्र जवाब की ताईद में पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 22.08.2022 को कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्षो से पूर्व में उक्त आराजी 288, 280, व 282 मे आने जाने का रास्ता उपलब्ध था जिससे आवाजाही की जाती थी।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सूचना पत्र के बाद मौके पर पहुंच कर सहमति के प्रयास में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण में कोई सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   ग्राम काछियाखेडी के आ0 नं0 291 किस्म रास्ता बिलानाम सरकार से आ0 नं0 288 क्षेत्रफल 110 मी0 × 3 मी0 = 0.03 है0 से होकर आराजी नं0 280 क्षेत्रफल 52 मी0 × 3 मी0 = 0.02 है0 से होकर अपनी शामलाती आराजी (वादी/प्रतिवादी) आ0 नं0 281 में जायेगा व आराजी नं0 वादी 277 में जाने के लिये प्रतिवादी आराजी नम्बर 282 क्षेत्रफल 10 मी0 × 3 मी0 = 0.01 है0 से प्रार्थी अपनी आराजी में प्रवेश करेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा काछीयाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 277 रकबा 0.20 है0, आराजी नं0 278 रकबा 0.0850 है0 व आराजी नं0 281 रकबा 0.04 है0 स्थित है पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 से 11 तक की आराजी संख्या 288 व अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 280 व अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी नं0 282 से रास्ता चाह रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा काछीयाखेडी की आ0 सं0 277, 278, 281 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है, आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:56 IST
Reason: Self Attested

अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा काछीयाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 277, 278, 281 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 3 से 11 की मौजा काछीयाखेडी की आ.न. 288 जिसका रकबा 110 मी0 × 3 मी0 = 0.03 हैक्ट0, अप्रार्थी संख्या 1 की मौजा काछीयाखेडी की आराजी न0 280 जिसका रकबा 52 मी0 × 3 मी0 = 0.02 हैक्ट0, व अप्रार्थी संख्या 2 की मौजा काछीयाखेडी की आराजी नं0 282 जिसका रकबा 10 मी0 × 3 मी0 = 0.01 हैक्ट0 है कुल रकबा 0.06 हैक्ट0 जिसका दिनांक 22.08.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 0.06 है0 की डीएलसी दर 1281326 × 0.06 = 76880 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 153760/– रूपये अक्षरे एक लाख तिरपन हजार सात सौ साठ रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम का हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:56 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन